न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भदोही–ज्ञानपुर।

मुकदमा सं0– 149 सन् 2012

राज्य बनाम नियाज

23.03.2017–

वाद पुकारा गया। अभियुक्त उपस्थित। अभियोजन साक्षी अनुपस्थित। अभियोजन की ओर से आवेदन देकर याचना की गयी है कि साक्षीगण के0 के0 कन्नौजिया, राम कुमार श्रीवास्तव, रामचन्द्र तिवारी व आर 0 के0 सिंह को न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु जरिये गैर जमानती अधिपत्र व सम्मन तलब किया गया था, परन्तु साक्षीगण साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आये है। अतः उनका वेतन कुर्क करने का आदेश पारित किया जाय। अभियोजन की याचना पर साक्षीगण के0 के0 कन्नौजिया, राम कुमार श्रीवास्तव, रामचन्द्र तिवारी व आर 0 के0 सिंह जो कार्यरत है, उनका वेतन एवं जो सेवानिवृत्त है, उनका पेन्शन कुर्क किया जाता है। कुर्की आदेश के अनुपालन हेंतु सम्बन्धित जिलों के वरिष्ठ कोषाधिकारी को कुर्की आदेश प्रेषित हो। कुर्की आदेश की एक प्रति साक्षीगण के विरूद्ध एवं गैर जमानती अधिपत्र का तामीला सम्बन्धित जिलों के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कराया जाय तथा सम्बन्धित थानाध्यक्ष विशेष वाहक की नियुक्त करें जो कि आदेश का समुचित अनुपालन सम्बन्धित प्राधिकारियोंके पास करने हेतु प्रदान कर सकें। पत्रावली दिनांक 12.04.2017 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय,
भदोही–ज्ञानपुर।